(3)

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर,मसूदा

राजस्व वाद संख्या 57 / 2015

श्रीनिवास धूत सुपुत्र श्री चांदकरणजी आयु 69साल जाति
महेश्वरी निवासी मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज॰। .....वादी

बनाम

1 वीरेन्द्रसिंह सुपुत्र भंवरसिंहजी कानावत
2 महेन्द्रसिंह सुपुत्र भंवरसिंहजी कानावत
जाति राजपुत निवासीयान मसुदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज॰।
3 राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार मसूदा
4 राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयन मसूदा।
5 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर ,अजमेर ।

.....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते धोषणा,स्थाई निषेधाज्ञा हकखातेदारी एवम रेकार्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88,188,राज॰काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निणर्य

दिनांक07.12.2016

वादी ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम व तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित साबिक अराजी खसरा न0 428रक्बा 14–18–10 जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल न0 453 रक्बा 00–04–10 व 454रक्बा 04–05–00 व खसरा न0 449 रक्बा 6–18–00 तथा 533 रक्बा 3–11–00कुल किता 4 रक्बा 14–18–10 बने है। इनमें से हाल खसरा न0 453,454 व 449 तो वादी की खातेदारी में लगा दियें है तथा इनकी1970–71 के नक्शे मे तरमीम कर दी गई है लेकिन खसरा न0 533 रक्बा 3–11–00 को न तो वादी के खातें लगाया गया है और न ही सन्1970–71 के नक्शे में पृथक से तरमीन किया गया है। प्रकरण में विवादित अराजी खसरा न0 533 ही मानी जानी हैं। प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की खातेदारी की अराजी साबिक खसरा न0 439 रक्बा 13–06–10 जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल न0 533 रक्बा 11–08–00 बीधा बने है इसलिए वादी की साबिक अराजी 428के अंशिक रक्बे से बने खसरा न0 533रक्बा 3–11–00 का नक्शे में तरमीम न होने का फायदा उठाते हुए इसे अपनी बताते हुए बदनियतिवस वादी को बेदखल करने एवं दीगर व्यक्तियों को हस्तांरित करने के लिए दिनांक 7–7–2015 को वादी के आधिपत्य के पुर्वी दक्षिणी हिस्से की भूमि पर आये और लडाई झगडा करने लगे। जबकि उन्हे वादी को उसकी खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि से बेदखल करने के अधिकार नहीं है। अतः जरियें स्थाई निषेधाज्ञा तरमीम अवधि तक प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को वादी के आधिपत्य की भूमि में दखलंदाजी आदि से निषेध किया जाना आवश्यक है वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह धोषित किया जावे की ग्राम मसूदा स्थित अराजी खसरा न0 533रक्बा 03–11–00 बीधा साबिक खसरा न0 428 रक्बा 14–18–10 मे से बना है जिसकी सन्1970–71के नक्शे में पूर्व नक्शा ट्रेस संवत 1951–52 के अनुरूप तरमीम करवा कर वादी राजस्व अभिलेख में अपने नाम लगवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी सख्या 1 व 2को खसरा न0 533के पुर्वी दक्षिणी हिस्से के 3–11–00 बीधा भूमि अथवा उसके किसी भाग में जबरन कब्जा करने व किस्म परिवर्तन करने या बेचान करने के अधिकार नहीं है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1व 2ने अपने प्रतिवाद पत्र में सारांशतः कथन किये है कि वाद के पद संख्या 1 में दर्शाई गई विवादित अराजी त्रुटि पुर्ण है क्यों कि ग्राम मसूदा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

खाता सख्या 799 के अनुसार वादी की खातेदारी में खसरा न0 449 रक्बा 6–18–00 बीधा किस्म आबी 3 खसरा न0 453 रक्बा 0–04–10 किस्म गें0मु0 पाल व खसरा न0 454/1 रक्बा 7–16–00 बीधा किस्म आबी 3 अंकित है। वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित खसरा न0 533 रक्बा 3–11–00 बीधा उसकी खातेदारी में दर्ज नही है। वादी ने वाद पत्र में खसरा न0 454 रक्बा 4–05–00 अंकित किया जबकि उसकी खातेदारी में 454/1रक्बा 7–16–00 बीधा दर्ज है। वादी ने खसरा न0 454/2 रक्बा 03 बिस्वा जो उसकी खातेदारी में ही वाद में अंकित नही किया है। वादी ने वास्तविकता के विपरीत वाद कथन किये हैं फसली 1359 के अनुसार साबिक खसरा न0 428 रक्बा 14–18–10 किस्म नाला आबी 3 है जिसकी धारा 16 RTA के प्रावाधानुसार खातेदारी नही दी जा सकती ना ही कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के तहत दी जा सकती है । लेकिन राजस्व कारकुनों द्वारा जमाबंदी संवत् 2017 से 20 के कॉलम 4 में ताराचन्द वल्द धीसालाल को गैरखातेदार दर्ज कर देने से 2024 से 2027तक दर्ज चला आया जिसकी वर्किंग जमाबंन्दी में खातेदारी दर्ज करवाली और ताराचन्द के स्थान पर वादी ने अपना नाम लगवा लिया जो निस्तनीय है।

ग्राम मसूदा की जमाबंदी संवत 2070–2073के खाता संख्या 799 के अनुसार वादी की खातेदारी में साबिक खसरा न0 428 रक्बा 14–18–10 के आधार खसरा न0 453रक्बा 0–04–10 व 454/1 रक्बा 7–16–00 तथा 449 रक्बा 6–18–00 दर्ज है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा न0 428 रक्बा 14–18–10 के त्रुटिपुर्ण खसरा न0 453 रक्बा 00–04–10 व 454 रक्बा 4–05–00 व 449 रक्बा 6–18–00 तथा 533 रक्बा 3–11–00 अंकित कर दिये गये है जबकि खसरा न0 533 रक्बा 3–11–00 वादी की खातेदारी की भूमि नही है। जिसे सहवन से मिलान क्षेत्रफल में दर्ज कर दिया गया है। मिलान क्षेत्रफल में खसरा न0 454/1 रक्बा 7–16–00 में से 03–11–00 रक्बे को पृथक से खसरा न0 533 रक्बा 3–11–00 दर्ज कर दिया गया हैं तथा शेष भूमि के खसरा न0 454 रक्बा 4–5–00 अंकित कर दिये गयें है। जबकि मिलान क्षेत्रफल में 454 का रक्बा 07–16–00 बीधा होना चाहिये या उब दर्ज कर खसरा न0 533 रक्बा 3–11–00को डिलिट किया जावे। इसी अनुसार नक्शे में दरूस्ती की जावे वादी खसरा न0 533 की अराजी पर कभी भी काबिज नही रहा है न ही दुसरी आराजी उसकी खातेदारी में रही हे।

अतः मिलान क्षेत्रफल में खसरा न0 454 का रक्बा 7–16–00 दर्ज कराया जावे तथा खसरा न0 533 रक्बा 3–11–00 को तर्क किया जावे। काउन्टर क्लेम में निवेदन किया है कि मिलान क्षेत्रफल में खसरा न0 454का रक्बा 4–05–00के स्थान पर 7–16–00 बीधा अंकित किया जावे तथा खसरा न0 533रक्बा 3–11–00 मिलान क्षेत्रफल से तर्क किया जावे।–

प्रतिवाद पत्र प्राप्त होने पर निम्न तनकियात कायम कर शहादत पक्षकारान तलब की गई।

तनकी 1 आया वादी वाद ग्रस्त अराजी खसरा न0 533 राजस्व नक्शा ट्रेस सम्वत 1951–52 के अनूरूप राजस्व नक्शा ट्रेस संवत् 2070–71 के नक्शे में तरमीम करवाने का अधिकारी है?

तनकी 2 आया विवादित अराजी ख0न0454 में शामिल किये जाने तथा खसरा न0 533 में वादी के खातेदारी नहीं होने से वादी का वाद खारिज योग्य है?

तनकी 3 अनुतोष

उभय पक्षान द्वारा शहादत में किसी के बयान दर्ज नही करवाये गये। वाद पत्र पर बहस विव्दान अभिभाषकगण उभय पक्षान सुनी गई। वादी वकील के तर्क रहे कि आंवटन मुझे विधिकरूप से हुआ है। जिसे चलेंज न्यायालय जिला कलक्टर में किया जा सकता हैं। गलत आवंटन हुआ है तो उसका रेफरेन्स जिला कलक्टर द्वारा बोर्ड को दिया जा सकता है। में दावा 88,188 RTA तथा 136LR ACT के तहत लेकर आया हुँ। यदि नाला दर्ज है तो बोर्ड सुन सकता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

वितर्क में प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के वकील ने तर्क दिये कि विवादित भूमि की किस्म नाला थी जो सेटलमेंट कारकूनो द्वारा गैरकानूनी रूप से बदली गई हैं। खसरा न0 533 रक्बा 3–11–00 वजूद में नहीं है मिलान क्षेत्र में गलत अंकित किया गया है इसका रक्बा 454/1 में मिला हुआ है जो वादी की खातेदारी में है। वादी के पास पूरा रक्बा है। वाद झुठा है। वादी ने नाले में एनीकट बनाकर नाले के पानी के प्रवाह को रोका है। वादी का वाद खारिज किया जावे तथा मेरा काउन्टर क्लेम स्वीकार कर मिलान क्षेत्रफल से खसरा न0 533रक्बा 3–11–00 तर्क किया जावे तथा खसरा न0 454/1रक्बा 04–05–00 बीधा के स्थान पर वादी की खातेदारी अनुसार 07–16–00 मिलान क्षेत्रफल में दर्ज किया जावे ।

बहस के परिपेक्ष में मेंनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम मसूदा की जमाबंदी संवत् 2070–2073के खाता संख्या 799में वादी की खातेदारी में खसरा न0 449 रक्बा 6–18–00 व 453 रक्बा 00–04–10 तथा 454/1रक्बा 7–16–00 कुल किता 3 रक्बा 14–18–10जो साबिक न0 428 रक्बा 14–18–10 से सही बना हुआ पाया जाता है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक न0 428 रक्बा 14–18–10 के खसरा न0 453रक्बा 00–04–10 व 454 रक्बा 04–05–00व 449 रक्बा 6–18–00तथा 533 रक्बा 3– 11–00 बने है। इसमें खसरा न0 454 का रक्बा कम दशार्या गया है जबकि जमाबंदी अनुसार 7–16–00 बीधा है जो वादी की खातेंदारी में हैं

वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र तथा मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी को दृष्टिगत रखतें हुए इन सभी की वस्तुस्थिति पर ध्यान पूर्वक मनन करने पर प्रकरण में कायम तनकियात निम्न प्रकार निर्णित की जाती हैं।

तनकी 1 आया वादी वाद ग्रस्त अराजी खसरा न0 533 राजस्व नक्शा ट्रेस सम्वत 1951–52 के अनूरूप राजस्व नक्शा ट्रेस संवत् 2070–71 के नक्शे में तरमीम करवाने का अधिकारी है?

इसका भार वादी पर रहा है और उसने वाद पत्र के पद संख्या 1 में उसकी खातेदारी में अंकित आराजी के विपरीत मिलान क्षेत्रफल से खसरा न0 533 रक्बा 3–11–00 में खातेदारी होने एवं इसकी वर्तमान नक्शे में पूर्व नक्शे अनुसार तरमीम कराने की अनुशंषा चाही है। वादी के पूर्व खसरा न0 428 एवं प्रतिवादी की खातेदारी के पूर्व खसरा न0 439 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादी के खसरा न0 454 का रक्बा 4–5–00 दर्शाया है जबकि उसकी खातेदारी में 7–16–00 बीधा है। इस प्रकार 4–5–00 में खसरा न0 533 का रक्बा 3–11–00 जोडने पर खसरा न0 454 का रक्बा 7–16–00 बनता है जो वादी के पास है। इस प्रकार खसरा न0 533 रक्बा 3–11–00 वजूद में होना नही पाया जाता है। जो अराजी वजूद में नही है उसकी तरमीम भी संभव नही है। मिलान क्षेत्रफल में खसरा न0 533 रकबा 3–11–00 गलत दर्ज है तनकी विरूद्व वादी तय पाई जाती है।

तनकी 2 आया विवादित अराजी खसरा न0 454 में शामिल किये जाने तथा खसरा न0 533 में वादी के खातेदारी नहीं होने से वादी का वाद खारिज योग्य है?

इसका भार प्रतिवादी पर रहा है। उसने अपने प्रतिवाद पत्र कथनो एवं अभिलेख से बखूबी साबित किया है ऐसी स्थिति में वाद स्वीकार योग्य नही अपितु प्रतिवादी संख्या 1व2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

3 अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

वादी अपने वाद पत्र पर किसी अनुतोष का अधिकारी नही पाया जाता अपितु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपनें काउन्टर क्लेम पर अपेक्षित अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी पाये जातें हैं।

अतः वाद वादी सव्यय निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर मौजा मसूदा के सन्1970–71 अर्थात संवत् 2027–28 के सेटलमेंट में कायम मिलान क्षेत्रफल से हाल खसरा न0 533 रकबा 3–11–00 को तर्क किये जाने तथा मिलान क्षेत्रफल में खसरा न0 454 का रक्बा 7–16–00 बीधा दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। वाद खर्च पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री जारी हो तथा डिक्री की एक प्रति सेटलमेंट विभाग को भिजवा कर मिलान क्षेत्र में दुरस्ती हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.12..2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 17:03:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: